वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 22/11/2019
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–720/2882 रायपुर, दिनांक 23/11/2019

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.-reg.**
पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/Road/27773/ 2017**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा.चि./2423 दिनांक 07.09.2019 एवं पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 32/ 2019/ 2140 दिनांक 16.08.2019

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1) – आवेदनकर्ता, प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर द्वारा कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2 एवं 3) – प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/ CG/ Others/ 27773/ 2017 है जो नोडल कार्यालय के पत्र दिनांक 24.01.2018 से जारी किया गया है। वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा यह पुष्टि की गई है कि आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 24,000/– वन मंडलाधिकारी कांकेर के पी.डी खाते में जमा कराये गये है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 4 एवं 5) – कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वनखण्ड कक्ष क्रमांक 346 के 4.309 हे. में प्रस्तावित है। वन का साईट क्वालिटी IV (B) है एवं घनत्व 0.2 से 0.3 तक है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 6) – निरंक है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 7 एवं 8) – सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 9 एवं 12) – एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया गया तथा वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा हस्ताक्षरित संनिधि मानचित्र एवं वन आवरण मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 23) – परियोजना की प्रशासकीय लागत रू. 899.60 लाख है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा दूसरे सभी विकल्पो की परीक्षण करने के बाद ही उन्होंने विषयांकित क्षेत्र के लिये आवेदन किया है और की गई वन भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्ताव पृष्ठ 20 पर वन क्षेत्र में पाये जाने वाले जीव जंतुओ की तथा प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 23 पर वृक्षों की सूची दी गई है ।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 27) – कांकेर जिले में शासकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण होने से जिले के छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर उन्हे वृहद रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे – इस आशय की टीप दी गई है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28 एवं 29) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 31) – यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है जिसमें आयटम वार प्रभावित होने वाली वन भूमि का विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 32 से 34) – भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 संलग्न है। आवेदक संस्थान ने कथन किया है कि पर्यावरण संरक्षण की स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 39) – कांकेर वन मंडल में 36 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनकी वन मंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सूची प्रस्ताव में लगी है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 40) – प्रस्तावित कार्य का रकबा 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 41) – गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि निरंक है ।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 42) – लागू नहीं।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 43 से 56) – परियोजना में प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र सिरसिदा अ अंतर्गत दुगने नारंगी क्षेत्र (OA) 1474 में रकबा 8.618 हे. भूमि में 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रू. 6,60,245/– प्रति हे. की दर से सिंचित वृक्षारापेण योजना प्रस्ताव में लगी है। परियोजना वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा हस्ताक्षरित है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा हस्ताक्षरित कुल 8.618 हे. वृक्षारोपण साईट का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 58 एवं 59) – प्रस्ताव पृ. 58 अनुसार वन मंडलाधिकारी कांकेर के संलग्न प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है परंतु मुख्य वन संरक्षक कांकेर ने अपने पत्र दिनांक 16.08.2019 से स्पष्ट किया है कि वन मंडलाधिकारी कांकेर के पत्र दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पालिटेक्निक कांकेर को 0.999 हे. वन क्षेत्र के विपथन की अनुमति दी गई थी जिसमें शासकीय पालिटेक्निक कालेज निर्माण किया गया है। शेष रकबा 3.310 हे. में कोई कार्य नहीं किया गया है। पूर्व में विपथित वन क्षेत्र 0.999 हे. में रकबा 3.310 हे. जोड़कर कुल रकबा 4.309 हे. का प्रस्ताव बनाया गया है। नोडल अधिकारी की टीप यह है कि मुख्य वन संरक्षक, कांकेर का अभिमत मान्य करने योग्य है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 60) — वन मंडलाधिकारी कांकेर के संलग्न प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 61) — निरंक।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 64) — कलेक्टर के द्वारा राजस्व भूमि की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र दिया गया है चूँकि वैकल्पिक वृक्षारोपण दुगुने नारंगी क्षेत्र में प्रस्तावित है । अतः मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 65) — इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 66) — इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 67) — प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 68) — यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में किसी भी ग्रामीण को विस्थापन नहीं किया जाना है, अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 82) — वन मंडलाधिकारी कांकेर वन मंडल ने आवेदित वन भूमि 4.309 हे. के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 29.08.2018 तथा प्रपत्र भाग–2 संलग्न किया है। उन्होंने भवन की स्थापना हेतु की गई मांग को अपरिहार्य एवं न्यूनतम बताया है तथा वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजना हेतु दिये जाने की अनुशंसा की है। प्रपत्र भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा दिनांक 07.09.2018 को वन मंडलाधिकारी कांकेर के सुझावों से सहमत होते हुए अनुशंसा की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 83) — प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक महत्व का स्थल / मूर्ति /चिन्ह नहीं है किन्तु प्रस्तावित स्थल के दक्षिण भाग में लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक महत्व के गढ़ियापहाड़ किला में मंदिर, देवगुडी एवं सोनई, यपई तालाब स्थित है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 84 से 90) — संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 91) — कांकेर वन मंडल की कुल वन भूमि **70527.29 हे.** है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 92) — वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों मे कांकेर वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 126.569 हे. वन भूमि है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 93) — स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की वन भूमि व्यपवर्तन का विवरण निरंक है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 94 एवं 95) — प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. की परिधि में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी कांकेर एवं यूजर एजेंसी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 96) – इस प्रकरण हेतु लागू नहीं होता है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 97 से 110) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कांकेर द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र तथा अनुविभाग स्तरीय समिति नाथियानवागांव का कार्यवाही विवरण एवं संबंधित ग्राम सभा नाथियानवागांव का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 111) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। अतः कलेक्टर कांकेर की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 112 से 114) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – प्रस्तावित स्थल की मृदा कंकरीली है तथा समाकृति उबड़ खाबड़ है। पुरूत्पादन की संभाव्यता के आधार पर भूमि पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है। इस आशय का यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी कांकेर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 117 एवं 118) – प्रमाण पत्र संलग्न है ।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 119) – आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 122) – कुल राशि 24000/– के बैक ड्राफ्ट की दो छाया प्रतियां भी पुष्टि हेतु लगा दी गई है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 123) – आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 124) – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) **कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 125 से 130)** – यूजर एजेंसी के अनुसार प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण जैसे डी.जी.पी.एस. रिडिंग सेप फाईल संलग्न है। कलेक्टर कांकेर ने अपने पत्र दिनांक 27.06.2019 के माध्यम से यह उल्लेख किया है कि कांकेर जिले में पालिटेक्टिनक भवन निर्माण के लिये राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण नारंगी वन भूमि खण्ड कक्ष क्रमांक 346 नथियानवागांव का चयन किया गया है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा होने के कारण छात्रों के आवागमन के लिये उपयुक्त है। कलेक्टर का यह पत्र मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 के संलग्नक के तौर पर प्राप्त है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त द्वारा शासकीय पॉलीटेक्निक भवन कांकेर के निर्माण के लिये स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 3 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. मु.व.सं कांकेर का पत्र दि. 16.08.2019 समस्त सहपत्रो सहित

(प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़